

बिहार सरकार,
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक (सुधार),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- ०९/१२/२०१७

विषय:- मुख्य शीर्ष- 2056-जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001
-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0001- जेल निरीक्षणालय के तहत
वित्तीय वर्ष-2016-17 में विशेष वेतन, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ,
कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा दूरभाष मदों में
निकासी हेतु राशि ₹34,62,000 (चौतीस लाख बासठ हजार रुपये मात्र) के
अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब0-17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0
दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016, पत्रांक-2561/
वि0(2) दिनांक-17.04.98 एवं सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
के गौ0स0प्रे0सं0-1329 दिनांक-20.12.16 तथा विभागीय पत्रांक-कारा/बजट (मु0)-04-04/
2016-96 दिनांक-03.02.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में विशेष वेतन, व्यवसायिक
एवं विशेष सेवाएँ, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा दूरभाष मदों में
पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की निकासी हेतु निम्नरूपेण अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी
जाती है:-

क्र	कूट संख्या एवं विषय शीर्षवार (इकाई)	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	01 02 विशेष वेतन	9000	12000	21000	इक्कीस हजार रुपये मात्र।
2	13 01 कार्यालय व्यय	1800000	150000	1950000	उन्नीस लाख पचास हजार रुपये मात्र।
3	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	750000	200000	950000	नौ लाख पचास हजार रुपये मात्र।
4	13 03 दूरभाष	500000	300000	800000	आठ लाख रुपये मात्र।
5	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	6000000	2800000	8800000	अठ्ठासी लाख रुपये मात्र।
	कुल	9059000	3462000	12521000	एक करोड़ पच्चीस लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र।

(चौतीस लाख बासठ हजार रुपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0001-जेल निरीक्षणालय के तहत होगा। कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्रों पर विपत्र कोड संख्या-N2056000010001 कूट संख्या/मांग संख्या का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

संलग्न कुल
रकम

जो. जमानुद्दीन अंसारी
प्र. पट्टा

राज ठाकुर सिंह
311 दिनांक 31/12/17

3. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय एवं एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

4. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

5. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98 के कंडिका 6,7,8,9,10 एवं 11 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन के आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मद में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही राशि की निकासी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी

राज गन्ने में

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
संजय कुमार बिहार, पटना।

ज्ञापक-पत्राक-कारा/बजट(मु०)-04-01/2016...102...

पटना, दिनांक-11-2-2017

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी

राज गन्ने में

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
संजय कुमार बिहार, पटना।

ज्ञापक-पत्राक-कारा/बजट(मु०)-04-01/2016...102...

पटना, दिनांक-11-2-2017

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी

राज गन्ने में

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
संजय कुमार बिहार, पटना।

ज्ञापक-पत्राक-कारा/बजट(मु०)-04-01/2016...102...

पटना, दिनांक-11-2-2017

प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी

राज गन्ने में

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
संजय कुमार बिहार, पटना।

ज्ञापक-पत्राक-कारा/बजट(मु०)-04-01/2016...102...

पटना, दिनांक-11-2-2017

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज गन्ने में

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
संजय कुमार बिहार, पटना।